भारत गणाराज्य की सरकार और क्रोपशिया गणाराज्य की सरकार के बीच संस्कृति शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग सम्बन्धी करार

भारत गणाराज्य की तरकार और कृष्टिशाया गणाराज्य की तरकार §जिन्हें इसके पश्चात् "संविदाकारी पक्षकार" कहा जायेगा §

दोनों देशों और उनकी जनता के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुद्द करने और विकसित करने की इच्छा से,

इस आति से आश्वस्त होकर कि संस्कृति, शिक्षा, विद्यान, प्रौद्योगिकी और खेलकूद के क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग क्रोस्शियाई और भारतीय जनता के बीच बेहतर पारस्परिक द्यान और समझ में योगदान करते हैं

अपने सफल और व्यापक सहयोग का विस्तार करने का प्रयोस करते हुए

निम्नानुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद ।

संविदाकारी पक्षकार संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेलकूद के सभी स्तरों पर सहयोग का संवर्द्धन करेंगे।

अनुच्छेद 2

संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार के देशा की भाषाओं, साहित्य, इतिहास और सम्यता के अध्ययन को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद उ

संविदाकारी पक्षकार निम्नांकित को प्रोत्साहित करेंगे :

श्रृंक है वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान सहित विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में
सहयोग, संयुक्त शाधि और विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन, संयुक्त
वैज्ञानिक सेमिनारों, सम्मेलनों और अन्य वैज्ञानिक बैठकों का आयोजन, प्रकाशन
और सूचना का आदान-प्रदान।

्रेंख रिच्च शिक्षा की संस्थाओं के बीच सहयोग, क्रोशशियाई और हिन्दी भाषाओं के विभावाों की स्थापना करना, अवर स्नातक और स्नातन-कोत्तर छात्रों तथा विश्वविद्यालय-प्रौफेसरों के आदान-प्रदान को सुकर बनाना ।

अनुच्छेद 4

संविदाकारी पक्षकार अपनी शैक्षणिक और उच्च स्कूली संस्थाओं द्वारा प्रदत डिप्लोमाओं, प्रमाणापत्रों, अर्हताओं और शैक्षिक डिग्नियों को पारस्परिक रूप से मान्यता के कार्य को प्रोत्साहित करेंगे और आवश्यक होने पर इस उद्देश्य के लिए एक पृथक करार या नयाचार सम्पन्न करेंगे जिसके द्वारा वे शार्ते और आवश्यकताएं निधारित की जायेंगी जिनके अंतर्गत उन दस्तावेजों को समतुल्य समझा जायेगा।

अनुच्छेद 5

संविदाकारी पक्षकार संस्कृति और कलाओं के सभी क्षेत्रों में सहयोग का समर्थन करेंगे जिससे उनके देशों की जनता दूसरे पक्षकार की सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति की समकालीन उपलब्धियों से परिचित हो सके।

संविदाकारी पक्षकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षणा और परिरक्षणा के क्षेत्रों में सहयोग को मोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 6

संविदाकारी पक्षकार सांस्कृतिक संस्थाओं, संघों और व्यक्तियों के बीच पुत्यक्ष संपकों और आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देंगे।

अनुच्छेद 7

संविदाकारी पक्षकार जन-प्रचार माध्यमों के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन करेंगे।

अनुच्छेद ८

संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने देशों द्वारा आयो जित खेलकूद कार्यक्रमों, प्रतियो गिताओं आदि में पारस्परिक अनुभव की हिस्सेदारी के माध्यम ते और राष्ट्रीय टीमों और व्यक्तियों की भागीदारी के माध्यम ते खेल कूद के क्षेत्र में तहयोग को प्रोत्ताहित करेंगे।

अनुच्छेद १

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच युवा लोगों के बीच संपर्क और युवा संगठनों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 10

बौद्धि तंपदा के क्षेत्र में बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और करारों के अनुसार संविदाकारी पक्षकार अपने—अपने कानूनों और विनियमों के भीतर इस करार से उत्पन्न कार्यकलायों से उद्भूत बौद्धिक संपदा अधिकारों के संयुक्त विधिक स्वामी हो सकते हैं।

सभी प्रासंगिक पहलुओं पर पूर्व पारस्परिक करार के अध्यधीन, संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने बौद्धिक संपदा कानूनों के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकार दर्ज कर सकते हैं और अपने-अपने कामीराईट कानूनों के अनुसार कामीराईट निर्दिष्ट कर सकते हैं।

अनुच्छेद ।।

इस करार के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने सक्षम मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगा जो संविदाकारी पक्षकारों द्वारा सहमत होने वाली अवधियों के लिए सहयोग और आदान-प्रदान के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए जागरेब और नई दिल्ली में बारी-बारी से आवधिक रूप से बैठक करेंगे।

अनुच्छेद 12

संविदाकारी पक्षकार सहमत हैं कि वर्तमान करार से सहयोग के अन्य रूप उत्पन्न हो सकते हैं जो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हों परन्तु जो इस करार के उद्देश्यों के अनुरूप हों।

अनुच्छेद । उ

यह करार राजनियक चैनलों के माध्यम से इस अद्यतन अधिसूचना की प्राप्ति पर लागू हो जायेगा कि करार लागू होने के लिए पुत्येक संविदाकारी पक्षकार के राष्ट्रीय विधानों द्वारा अपेक्षित शार्ते पूरी कर ली गयी हैं और जिस दिन करार पर हस्ताक्षर होते हैं उसी दिन से यह अस्थायी रूप से कार्यान्वित हो जायेगा ।

यह करार पांच वर्षों की अवधि के लिए सम्पन्न होगा और उसके बाद पांच वर्षों की उत्तरोत्तर अवधियों के लिए तब तक स्वतः नवीकृत किया जायेगा जब तक तक कि कोई संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को राजनियक चैनलों के माध्यम से करार रद्द करने के अपने इरादे के बारे में सूचित न कर दे। ऐसे मामले में करार रद्द किये जाने की सूचना की प्राप्ति की तिथि से छः महीने की समाप्ति तक लागू रहेगा।

इस करार को रदद किये जाने के मामले में इसके उपबंध इस करार के अंतर्गत शुरू किये गये आदान-प्रदान, करार या परियोजना के किन्हीं कार्यक्रमों पर उनके पूरा किये जाने तक लागू होते रहेंगे। नयी दिल्ली में मार्च, 1999 के पाँचवें दिन दो मूल प्रतियों हिन्दी, अंग्रेजी और क्रोहिशायाई भाषाओं, प्रत्येक में हस्ताक्षरित किये गये, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। तथापि, संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिमावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की और से

कोरशिया गणराज्य की सरकार की ओर से

्रेडा० मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री

§बोजो विस्कुपिक संस्कृति मंत्री

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND SPORTS

Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"):

- desiring to strengthen and develop the friendly relations between the two countries and their people;
- being convinced that the exchange and the cooperation in the fields of culture, education, science, technology and sports contribute to better mutual knowledge and understanding between the Indian and Croatian people;
 - endeavouring to expand their successful and comprehensive cooperation;

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote cooperation at all levels of culture, education, science, technology and sports.

Article 2

The Contracting Parties shall promote the study of the languages, literature, history and civilisation of the country of the other Contracting Party.

Article 3

The Contracting Parties shall encourage:

- cooperation in various fields of science, including the exchange of scientists, the implementation of joint research and development projects, the organisation of joint scientific seminars, conferences and other scientific meetings, the exchange of publications and information;
- cooperation between higher education institutions, establishing language departments for Hindi and Croatian languages, facilitating exchange of undergraduate and postgraduate students and university professors.

Article 4

The Contracting Parties shall encourage reciprocal recognition of diplomas, certificates, qualifications and academic degrees granted by their educational and higher school institutions and, if deemed necessary, conclude for that purpose a separate agreement or protocols whereby conditions and needs shall be determined under which those documents shall be considered equivalent.

Article 5

The Contracting Parties shall support cooperation in all fields of culture and arts making the public of their countries acquainted with cultural heritage and contemporary achievements of culture of the other Party.

The Contracting Parties shall encourage the cooperation in fields of protection and preservation of cultural heritage.

Article 6

The Contracting Parties shall encourage direct contacts and exchange between cultural institutions, associations and individuals.

Article 7

The Contracting Parties shall support the cooperation in the field of mass-media.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of sports, through sharing of mutual experience and through participation of national teams and individuals in sports events, competitions, etc., organised by their respective countries.

Article 9

The Contracting Parties shall encourage contacts between young people and direct cooperation between youth associations of the two countries.

Article 10

In accordance with binding international conventions and agreements in the field of intellectual property, the Contracting Parties may become, within their respective laws and regulations, joint legal owners of intellectual property rights resulting from the activities arising out of this Agreement.

Subject to prior mutual agreement on all relevant aspects, the Contracting Parties may register intellectual property rights in accordance with their respective intellectual property laws and denote copyrights in accordance with their respective copyrights laws.

(Page 2 of 3)

Article 11

For the purpose of implementation of this Agreement each Contracting Party shall appoint representatives of their competent ministries to meet periodically in Zagreb and New Delhi alternately to conclude programmes of cooperation and exchange for the periods to be agreed upon by the Contracting Parties.

Article 12

The Contracting Parties agree that the present Agreement may anticipate other forms of cooperation not explicitly contained herein but being in consonance with the objectives of this Agreement.

Article 13

This Agreement shall enter into force upon the receipt of the latest notification through the diplomatic channels that the conditions required by the national legislations of each Contracting Party for its entry into force have been fulfilled and shall be provisionally implemented since the day it has been signed.

This Agreement shall be concluded for a period of five years and thereafter shall be automatically renewed for successive periods of five years until either Contracting Party informs the other through diplomatic channels about its intention to denounce the Agreement. In such a case the Agreement shall remain in force until the expiry of six months from the date of the receipt of the notice of denunciation.

In case of denunciation of this Agreement its provisions shall continue to apply to any programmes of exchange, agreement or project initiated under this Agreement still in progress until they are completed.

Signed in New Delhi on the 5th day of March 1999 in two originals each in Hindi, English and Croatian, all the texts being equally authentic. However, in case of doubt, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

3 Luturieugilz

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

(DR. MURLI MANOHAR JOSHI)

Minister for Human Resource Development

(BOZO BISKUPIC)
Minister of Culture

(Page 3 of 3)